


राजस्थान सरकार
आयुक्त, महिला अधिकारिता
फैक्स 5196317 we.wshgi@gmail.com

क्रमांक एफ-13()निमअ/एसएचजी/एक्शन प्लान/2012-13/6817 जयपुर, दिनांक 20/2/14

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.11.2013 के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013-14 अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं संदर्भ केन्द्र (RRTC) एवं जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया गया था। कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ केन्द्र भरतपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पीडी खाते में वर्ष 2012-13 में बजट हेड - 14(00)-28 विविध व्यय में 1.51लाख रूपयें एवं बजट हेड - 29 प्रशिक्षण, टूर सेमीनार में 0.97 लाख रूपये अर्थात् कुल राशि 2.48 लाख रूपये(अक्षरे दो लाख अड़तालिस हजार रूपये मात्र) का उपयोग नहीं किया जा सका है, जो उनके पीडी खाते में बचत राशि के रूप में अवशेष है।


अतः कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ केन्द्र, भरतपुर 2.40 लाख रूपये (अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये मात्र) की राशि का हस्तान्तरण कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ केन्द्र, जोधपुर को किए जाने के आदेश एतद्वारा प्रदान किए जाते हैं।


(राजेश यादव)
निदेशक,
महिला अधिकारिता,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ-13()निमअ/एसएचजी/एक्शन प्लान/2012-13/ जयपुर, दिनांक 20/2/14
6818-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ केन्द्र, भरतपुर को भेजकर लेख है कि उक्त राशि अविलम्ब हस्तान्तरित कर सूचना निदेशालय को भिजवावें।
3. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं सन्दर्भ केन्द्र, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त राशि प्राप्ति की सूचना अविलम्ब निदेशालय को भिजवावे।
4. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता